

राजस्थान सरकार  
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015-16

जयपुर, दिनांक 15/10/18

उप निदेशक,

182970-183002

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषय:- प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के संदर्भ में।

प्रसंग:- अल्पसंख्यक मामलात विभाग का पत्रांक 17754 दिनांक 01.10.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP)/प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों (पीएमजेवीके) की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24.09.2018 को समीक्षा की गई थी जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी केंद्र जहां अल्पसंख्यक आबादी का बाहुल्य होता है उन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक अभ्याशियों को वरीयता प्रदान की जावे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के मानदेय पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाने को कार्यवाही सुनिश्चित करावे।



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (3)मो./ 15 सूत्रीय/आईसीडीएस/2015-16

183003 जयपुर, दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 308

1. उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।

2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

3. एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।